UPAD010051022026

श्री विनोद कुमार चौरसिया, न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश, अनन्य न्यायालय, पॉक्सो एक्ट, प्रयागराज।

दाण्डिक प्रकीर्णवाद सं0 - 518/2026

उत्तर प्रदेश राज्य **बनाम** **सौरभ कुमार पटेल**

विशेष परीक्षण सं.- 283/2023
अपराध सं.- 274/2022
धारा- 147, 323, 504, 506, 354(ख) भा.दं.सं.,
धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट
व धारा 3(2)(va) एस.सी./एस.टी. एक्ट
थाना- करछना, प्रयागराज।

आदेश

दिनांक- 04.05.2026

1. आज दाण्डिक प्रकीर्णवाद सं. 518/2026 मय पत्रावली, कार्यालय लिपिक द्वारा प्रस्तुत किया गया। आवेदक/अभियुक्त **सौरभ कुमार पटेल** की ओर से प्रार्थनापत्र दिनांकित 02.05.2026 प्रस्तुत किया गया है और अपने प्रार्थनापत्र में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धान्त **श्रीमती बच्ची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य,** 2025 AHC 136034 का उल्लेख किया गया है, साथ ही साथ अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश को प्रस्तुत भी किया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के प्रकाश में आवेदक/अभियुक्त **सौरभ कुमार पटेल** को बिना न्यायिक अभिरक्षा के व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल किये जाने हेतु प्रार्थना किया गया है।

2. न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धान्त **श्रीमती बच्ची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य,** 2025 AHC 136034 का सम्यक अवलोकन किया गया साथ ही साथ इस संदर्भ में पत्रावली का भी सम्यक अवलोकन किया गया।

3. उपलब्ध प्रपत्रों के समय्क अवलोकन से दर्शित होता है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धान्त **श्रीमती बच्ची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य,** 2025 AHC 136034 में संप्रेक्षित किया गया है कि यदि आरोप पत्र अभियुक्त की गिरफ्तारी के बिना न्यायालय में प्रेषित किया गया है तो अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में नहीं भेजा जाएगा और उससे सिर्फ व्यक्तिगत बंधपत्र लिया जाएगा। इसके पश्चात अभियुक्त से न्यायालय विचारण के दौरान यदि चाहे तो जमानत बंधपत्र/प्रतिभू ले सकती है। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त सम्मानित आदेश, अभियोजन प्रपत्रों और आवेदक/अभियुक्त के प्रार्थना पत्र का समग्र अवलोकन करने के पश्चात् उपरोक्त विवेचना,

विरचन, विश्लेषण और आधार के प्रकाश में, न्यायालय की विधि सम्मत राय में, आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

4. तदनुसार आवेदक/अभियुक्त **सौरभ कुमार पटेल** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा **मु. 20,000 रु.** का व्यक्तिगत बंधपत्र तथी इसी धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल किया जाना सुनिश्चित करें। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र निस्तारित किया जाता है। कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि प्रस्तुत प्रपत्रों को विशेष परीक्षण सं. 283/2023, राज्य बनाम सौरभ आदि की पत्रावली में अनुरक्षित किया जाना सुनिश्चित करें। हस्तगत आदेश के पी.डी.एफ. पर अधोहस्ताक्षरी का डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त कर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

<u>दिनांक- 04.05.2026</u>

(विनोद कुमार चौरसिया)
J.O code- U.P. 2641
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, अनन्य न्यायालय, पॉक्सो एक्ट,
प्रयागराज।

Digitally signed by VINOD KUMAR CHAURASIA
Date: 2026.05.18 13:59:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court